

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

मंगलम

बनाम

रमेश शर्माकिस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 182/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
06/05/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>मंगलम</u></p> <p>पिता श्री <u>नाथुलाल कालबेलिया</u></p> <p>निवासी-<u>कालबेलिया मोहल्ला गाड़ीखेडा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सातपुडा (तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>20 21 22</u> <u>0.96 0.08 0.63</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> कुल रकबा <u>1.6700</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सातपुडा (तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>20 21 22</u> <u>0.96 0.08 0.63</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> रकबा <u>1.6700</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500=00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पान्च सौ रूप</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>